

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 22/2017

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली	शंकरलाल पुत्र उगमाराम जाट के क.मु. 1. रणजीत पुत्र शंकरलाल 2. रामरतन पुत्र शंकरलाल 3. माया पुत्री शंकरलाल जातिगण जाट, निवासीगण आनन्दपुर कालु, तहसील जैतारण जिला पाली	

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-


1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

-:: आदेश ::-

दिनांक : 24.07.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण में अप्रार्थीगण के पिता श्री शंकरलाल को राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के तहत खसरा नम्बर 1 कुल रकबा 1833.03 बीघा में से रकबा 0.05 बीघा आराजी का आवंटन किया गया है, किए गए उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण में अप्रार्थीगण के पिता स्व. शंकरलाल को राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के तहत खसरा नम्बर 1 कुल रकबा 1833.03 बीघा में से रकबा 0.05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है, बाद इन्द्राज उक्त आवंटित भूमि के बट्टा नम्बर 1/7 दर्ज किए गए हैं, खसरा नम्बर 1 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी एवं खसरा नम्बर 1/7 नदी का ही भाग है। जिसमें से आवंटन उप जिला कलेक्टर, जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व/96/554 दिनांक 06.06.1997 के द्वारा दस वर्ष की अवधि के लिए किया गया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनांक 16.10.1997 दर्ज किया गया। उक्त भूमि की किस्म वक्त आवंटन गै.मु. नदी दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से उक्त आवंटन विधि सम्मत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित होने से उक्त निर्णय की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को

  
जिला कलेक्टर  
पाली (राज.)


क्रमश .....2

प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनांक 16.10.1997 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पिता स्व. शंकरलाल को ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1 कुल रकबा 1833.03 बीघा किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.05 बीघा आराजी का उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिये आदेश क्रमांक राजस्व/96/554 दिनांक 06.06.1997 के राज. भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के तहत 24/- रु. प्रति वर्ष लीज पर 10 वर्ष के लिए किया गया था। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनांक 16.10.1997 तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकृत किया गया एवं आवंटी को खातेदार दर्ज कर दिया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उप जिला कलेक्टर, जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व/96/554 दिनांक 06.06.1997 एवं उसकी पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनांक 16.10.1997 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता स्व. शंकरलाल पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के पक्ष में उप जिला कलेक्टर, जैतारण के द्वारा जरिये आदेश क्रमांक राजस्व/96/554 दिनांक 06.06.1997 द्वारा जो आवंटन किया गया है। उक्त आदेश एवं उसकी पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनांक 16.10.1997 को निरस्त फरमाया जावे।



  
(सुधीर कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर,  
पाली (राज.)